By
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

Lecture-6

Topic-Formation of Indian Constituent Assembly

D-II (Hons.) P-3.

Date-25-01-2022

संविधान सभा :-

कैबिनेट मिशन ने तत्कालीन परिस्थितियों में निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक निकायों के रूप में करने की सिफारिश की। मिशन ने इसे सर्वाधिक -शीघ्रोचित तथा व्यवहार्य योजना बताया और सिफारिश की कि संविधान-निर्माण-निकाय में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो। मोटे तौर पर दस लाख लोगों के पीछे एक सदस्य चुना जाए और विभिन्न प्रांतों को आवंटित स्थान इस प्रयोजन के लिए कल्पित मुख्य समुदायों यथा सिख, मुसलमानों और सामान्य लोगों में (सिखों तथा मुसलमानों को छोड़कर)

उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित कर दिए जाएँ।

प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि स्थानीय निर्वाचन सभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुने जाने थे और मतदान एकल संक्रमणीय मत सहित आनुपाती प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा कराया जाना था। भारतीय रियासतों के लिए आवंटित सदस्यों की संख्या भी जनसंख्या के उसी आधार पर निर्धारित की जानी थी, जो ब्रिटिश भारत के लिए अपनाया गया था, किन्तु उनके चयन की विधि बाद में परामर्श द्वारा तय की जानी थी। संविधान-निर्माण-निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन ग्यारह प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरों के चार प्रांतों अर्थात दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से

एक-एक तथा 12 प्रतिनिधि भारतीयों/रियासतों के लिए जाने थे।

कैबिनेट मिशन ने संविधान के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप पेश किया तथा संविधान-निर्माण-निकाय द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया का कुछ विस्तार के साथ निर्धारण किया।

ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित (292+4)=296 स्थानों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त, 1946 तक पूरे कर लिए गए थे। कांग्रेस को 208 स्थानों पर, जिनमें नौ को छोड़कर शेष सभी सामान्य स्थान शामिल थे, विजय प्राप्त हुई और मुस्लिम लीग को मुसलमानों को आवंटित स्थानों में से पांच स्थानों को छोड़कर शेष 73 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। ब्रिटिश भारत की विधान सभाओं से चुने गए सदस्यों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा अन्य कई छोटे-2 दल भी शामिल थे।

CHAPTER CONTINUES...